<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>03.07.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक राजेश गोयनका एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29.06.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। पूर्व में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2.35 करोड़ रुपये मूल्य की बहुमूल्य वस्तुएं जब्त की थीं तथा बैंक खातों को फ्रीज किया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, बिधाननगर पुलिस थाना द्वारा राजेश गोयनका एवं अन्य के विरुद्ध पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। उक्त एफआईआर उस शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि वे एक अनधिकृत कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि बनकर ग्राहकों को प्रतिरूपित (इम्पर्सोनेट) करते हुए, कोई सेवा प्रदान किए बिना सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराने की आड़ में विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत की गई जांच से यह उजागर हुआ कि मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके निदेशक राजेश गोयनका ने अपने परिसर में अवैध कॉल सेंटरों के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई थी तथा वहां कार्यरत कॉलकर्ता सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराने के बहाने विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी नागरिकों को धोखे में रखकर कम-से-कम **20.35** करोड़ रुपये अर्जित किए**,** जिसका उपयोग आभूषणों**,** अचल संपत्तियों आदि के अधिग्रहण में किया गया। राजेश गोयनका अपनी कंपनी मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था। इसके अतिरिक्त**,** मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से संचालित अवैध कॉल सेंटर के कॉलकर्ता भी अपराध से अर्जित आय के लाभार्थियों में शामिल थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से यह उजागर हुआ कि राजेश गोयनका के निर्देश पर संचालित अनधिकृत प्रतिष्ठान प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन), उत्पीड़न तथा कंप्यूटर

प्रणालियों के कपटपूर्ण दुरुपयोग के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने की गतिविधियों में व्यवस्थित रूप से संलिप्त था। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों का प्रतिरूपण करते हुए वीओआईपी (VoIP) आधारित कॉलों के माध्यम से विदेशों में रहने वाले पीड़ितों से संपर्क करते थे, उन्हें झूठे बहानों से धमकाते थे तथा उपहार वाउचर, अस्तित्वहीन सेवाओं, जिनमें सदस्यता निरस्तीकरण तथा तकनीकी सहायता जैसी सेवाएं शामिल थीं, के नाम पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके परिणामस्वरूप अपराधियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ तथा अनेक विदेशी नागरिकों को अनुचित वित्तीय हानि हुई।

आगे की जांच प्रगति पर है।